संख्या- 41 /2018/1138/69-1-2017-38(अ0सं0-37)/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। लखनऊ : दिनांक : 31 जनवरी, 2018

विषय: शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित धनराशि से जनपद-मेरठ की 33 परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1570/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2016-17, दिनांक 26 जुलाई, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना"** योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-मेरठ की नगर निगम, मेरठ की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 43 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-170/2015/488/69-1-14-38(अ0स0-37)/2014, दिनांक 19 फरवरी, 2015 द्वारा **रू0 1327.45 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित** उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् **रू0 663.725 लाख** की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी। अतएव उक्त परियोजनाओं में से केवल 33 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु **"मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत** चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि **रू0 501.485 लाख (रूपये पांच करोड़ एक लाख अड़तालीस हजार पांच सौ मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमश: इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

पी0 ओ0 यो0
मार्च क्रम अधि0

8/301
1/2/18

-2/

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0 प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

-3/

17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक **"2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 एवं समय-समय पर जारी आदेशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-51 /2018/1138(1)/69-1-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मेरठ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasanadeshup.nic.in

शासनादेश संख्या- 41 /2018/1138/69-1-2017-38(अ0सं0-37)/2014 दिनांक 31 जनवरी, 2018 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल लागत	द्वितीय/ अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	मेरठ	नगर निगम मेरठ	वार्ड नं0-72 के मो0 मजीद नगर में असलम के मकान से जामिया मदरसा रोड होते हुये बबलू चौहान के मकान तक, बबलू चौहान के मकान से सलीम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	68.60	34.30
2.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-72 के मो0 मजीद नगर में आफताब राना के मकान से दिलशाद फौजी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	20.85	10.425
3.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-72 के मो0 मजीद नगर में रियाजुद्दीन डेरी के मकान से जलालुद्दीन के मकान तक एवं इमामुद्दीन के मकान से सलीम मेवाती के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	27.25	13.625
4.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-72 के मो0 मजीद नगर में सगीर मेवाती के मकान से घदे वाली मस्जिद पिलोखरी रोड़ तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	22.48	11.24
5.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-72 के मो0 मजीद नगर में फौजी के मकान से जमीद मंसुफरी के मकान तक, रियाजुद्दीन तबरक अन्सारी के मकान तक एवं रियाजुद्दीन के तबरक अन्सारी के मकान तक, सलीमुद्दीन के मकान से सलीम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	28.86	14.43
6.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-72 के मो0 मजीद नगर में सब्बीर के मकान से खदील पब्लिक स्कूल तक, पप्पू के मकान से जफ्फार के मकान तक, ताज मोहम्मद के मकान से बने वाली गली में, सराफत हाउस से जब्बार वाली गली में एवं नीम की दुकान से युसूफ के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	30.39	15.195
7.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-72 के मो0 मजीद नगर में खदीर के मकान से बाबू के मकान तक, सलीम के मकान से गुलजार के मकान तक, अब्दुल सलीम के मकान से डा0 राना के मकान तक, मोटा सलीम के मकान से यामीन के मकान तक एवं आस मोहम्म्द के मकान से नासिर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	28.70	14.35
8.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-72 के मो0 मजीद नगर में निसार के मकान से रियाकत के मकान तक, डा0 खान की दुकान से शाहिद के मकान तक, फजब डेरी से मास्टर खेल के मकान तक, इकबाल के मकान से गुड्डू के मकान तक एवं मफूज के मकान से सतीम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	29.58	14.79
9.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-72 के मो0 मजीद नगर में सानू के मकान से छोटे कुंअे वाली मस्जिद तक, छोटे धोबी के मकान से मोमीन के मकान तक, हिम्मत अली के मकान से	36.26	18.13

http://shasanadesh.up.nic.in

			अकबर के मकान तक, कुंओ वाली मस्जिद से जबीर के मकान तक एवं चकी के मकान से मुन्ना के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		
10.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-72 के मो0 मजीद नगर में बाही फारूख वाली गली में, असलम के मकान से उमर मोती सेन्टर तक, हाजी इल्यिास के मकान से आजम पब्लिक स्कूल तक एवं आजम पब्लिक सकूल से जमीलु के मकान प्लाट तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	33.40	16.70
11.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-72 के मो0 मजीद नगर में जमील अख्तर के मकान से बशीर बशीर के मकान तक, वसीम के प्लाट से बशीर के मकान तक, रहीस वाली गली में, महक शॉपिग सेन्टर से इकबाल के मकान तक एवं आरिफ किराना से कुरैशी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	31.15	15.575
12.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-72 के मो0 मजीद नगर में मदरसा अबुफकर के मकान से सदीक डेरी सड़क तक, अहमद हसन के मकान से सफाकत के मकान तक, डब्ल्यू0 आर0 पब्लिक स्कूल वाली गली में, नैन कान्ट्रेक्टर से दीवान जी सलीम के मकान तक एवं कजूर वाले के मकान से याकूब नाल वाले के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	26.44	13.22
13.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-72 के मो0 मजीद नगर में पिलोखरी रोड से जामिया चौक तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	60.41	30.205
14.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-72 के मो0 मजीद नगर में पप्पू सैयद अली के मकान से हाजी अनवर सफी की मार्केट तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.64	8.82
15.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-72 के मो0 मजीद नगर में हाजी अनवर सफी की मार्केट से असलम बोतल वाले एवं पप्पू मेवाती के मकान तक लखीपुरा रोड पर इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	37.59	18.795
16.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-72 के मो0 मजीद नगर में सलीम सफी के मकान से सारा प्रापर्टीज तक एवं तौहीद के मकान से एम0डी0 अमेरूद्दीन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	30.79	15.395
17.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-72 के मो0 मजीद नगर में अकील सफी के प्लाट से मुस्तकीम के मकान तक एवं साजिद के मकान से सफ्फीक के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	19.51	9.755
18.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-72 के मो0 मजीद नगर में अल्ताफ के मकान से सिराजुद्दीन सफी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	20.38	10.19
19.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-72 के मो0 मजीद नगर में इरसाद सलमानी के मकान से एम0ए0एस0 प्रापर्टीज एडवाइजर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	61.14	30.57
20.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-72 के मो0 मजीद नगर में इलियास के मकान से सहाबुद्दीन सफी के मकान होते हुये बाबू खान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली	51.93	25.965

http://shasanadesh.up.nic.in

-3/

			निर्माण कार्य।		
21.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-63 के मो0 हुमायूँ नगर में कल्लू के मकान से अशान के मकान तक एवं नौसाद के मकान से फतेहउल्लापुर रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	29.82	14.91
22.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-63 के मो0 हुमायूँ नगर में युसूफ के मकान से सिराजुद्दीन के मकान तक, मदेरसा से चमी हाउस तक एवं मेरठ गर्ल्स स्कूल से सत्तार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	22.15	11.075
23.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-63 के इकबाल नगर में कमरुद्दीन के मकान से वकील के मकान तक, तैयर गद्दी के मकान से महूद के मकान तक, मैनुद्दीन के मकान से रामजानू की मार्केट तक, चॉद की दुकान से गुड्डू आरा मशीन तक, रामजान के मकान से राजा वकील के मकान तक, राजा वकील के मकान से यूसुफ ड्राइवर के मकान तक एवं हाजी इस्तियाक के मकान से मवाना वालो तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	22.07	11.035
24.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-63 के इकबाल नगर में हाफिज फिरोज के मकान से दीवाज जी के मकान तक, एत मोहम्मद के मकान से गैस गोदाम वाले रास्ते तक, मुजामिल दरोजा के मकान से हापुर रोड तक, नजीम बिजली वालो के घर से फैज आरा मशीन तक, मुजाहिद के मकान से लियाकत ठेकेदार के मकान से तक, हाजी सोकत के मकान से हाजी हासिम घद्दी तक एवं वाजिद के मकान से सोकीन परचूनवाले तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	20.54	10.27
25.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-63 के रसूल नगर में हाजी हासिम गद्दी के मकान से अली मस्जिद तक, हाजी जमील के मकान से युसूफ के मकान तक, रोशन के मकान से जुल्फकार गैस वाले तक एवं हाजी अकबर के मकान से राशिद मेवाती के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	26.48	13.24
26.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-63 के रसूल नगर में हाजी अकबर के मकान से राशिद मेवाती के मकान तक, बाबू चौधरी के मकान से बाबू सैफी के मकान तक, रियाजुद्दीन के मकान से साबू कुरैशी के मकान तक एवं जमील के मकान से साहिद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	18.20	9.10
27.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-63 के मोबिन नगर में साबुद्दीन के मकान से हनीफ के मकान तक, हासिन के मकान से जमील प्रधान के मकान तक, इन्तजार के मकान से तेहरिन के मकान तक, बन्नी के मकान से सलीम के मकान तक एवं साबिर के मकान से इरफान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	30.52	15.26
28.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-63 के मोबिन नगर में इरसाद के मकान से हनीफ के मकान तक, दैतीयान के मकान से इल्यिास के मकान तक एवं बन्नी के मकान से गुलफाम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	23.85	11.925
29.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-63 के मोबिन नगर में नफीस के मकान से	12.22	6.11

			साबुद्दीन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		
30.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-63 के मोबिन नगर में गुड्डी के मकान से असगर के मकान तक तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	21.22	10.61
31.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-63 के मोबिन नगर में कबीरा के मकान से जाहिद के मकान तक, मेहरबान के मकान से समसुद्दीन के मकान तक, सारिफ के मकान से नफीस के मकान तक, बाबू के मकान से मस्जिद तक, नासिर के मकान से चन्दू के मकान तक, इस्लाम के मकान से आफताब के मकान तक, वसीलू के मकान से सोकत के मकान तक, इस्तकार के मकान से सत्तार प्रधान के मकान तक, जुल्फकार के मकान से रियाजुद्दीन के मकान तक एवं निजामुद्दीन के मकान से अलीहसन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	31.29	15.645
32.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-63 के मोबिन नगर में यासीन के मकान से याकूब के मकान तक, अल्लारख्खा के मकान से सकील के मकान तक, बाबर के मकान से मुस्तफा के मकान तक, आस मोहम्मद के मकान से कल्लू के मकान तक एवं आलिम के मकान से रियाजुद्दीन के मकान होते हुये साबिर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	31.29	15.645
33.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-63 के मो0 हुमायूँ नगर में महबूब के मकान से डाक्टर के मकान तक, अफ़ज़ल के मकान से काजीपुर वाले के मकान तक, हाजी इरफान के मकान से अहमद हसन के मकान तक, मोहम्मद उमर के मकान से हाजी ताबीज वाले तक एवं गफ्फार के मकान से जान मोहम्मद मेवाती के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	29.97	14.985
योग				1002.97	501.485

(रूपये पांच करोड़ एक लाख अड़तालीस हजार पांच सौ मात्र)

(अखिलानन्द ब्रहमचारी)
अनु सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in